(v) (क) 1989-99 के वर्ष के लिएसेंटर फोरएन्वायरमेंट एजुकेशन, नेहरू फाउंडेशन फोर डेवलपमेंट अहमदाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त सेंटर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। (पुस्तकालय में रखी गई देखिये सं. एल0टी0 928/99)

(vi) (क) 1997-98 के वर्ष के लिए जी.बी. पन्त इंस्टिटयूट ऑफ हिमालयन एन्वायरनमेन्ट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त सेंटर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। (पुस्तकालय में रखी ग्ठ देखिये सं. एल0टी0 923/99)

(ग) ऊपर (क) में उलिलखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

(vii)(क)जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रध) अतिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (6) के अधीन 1997-98 के वर्ष के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों प्रतिवेदन।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणो को दर्शाने वाला विवरण । (पुस्तकालय में रखी गई दंखिये सं एल0टी0 9240/99)

Notifications of the Ministry of Labour

श्रम मंत्री (डा. सत्य नारायण जटिया) : सभापति महोदय, में श्री मुनिलाल की ओर से शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 के अधसीन श्रम मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं ककी एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1)शिक्षु (संशोधन) नियम, 1999, कों प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 39, दिनांक 30 जनवरी, 1999।

(2) शिक्षु (संशोधन) नियम 1998 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 40, दिनांक 30 जनवरी, 1999।

(3) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली सया.का.नि. 41, दिनांक 30 जनवरी , 1999।

(4) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1999 शुद्धिपत्र सा.का.नि. 125 दिनांक 24 अप्रैल,1999 सहित, को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 58, दिनांक 27 फरवरी , 1999

(5) शिक्षु (संशोधन) को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 190, (अ) दिनांक 26 फरवरी , 1999 (पुस्तकालय में रखी गई देखिये सं एल0टी0 827/99)

(6) शिक्षु अधिनियम , 1961 और शिक्षुता नियम, 1991, शुद्धिपत्र का.आ. 2268 (अ) दिनांक 7 अगस्त, 1999 सहित केन्द्रीय शिक्षुता परिषद के पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचनाओं को प्रकाशित करने वाला का.आ. 426 (अ) दिनांक 9 जून , 1999 (पुस्तकालय में रखी गई। देखिए सं एल0 टी0 828/99)

Reports and Accounts (1997-98,1996-97) of Marine Prodcuts Export Development Authority Kochi and Coffee Board, Banglore and related papers

-

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत) श्रीमन में श्री उमर अब्दुल्ला की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

I1) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1947 की धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :-

(क)1997-98 के वर्ष के लिए प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेपलमेंट अथोरिटी, कोची का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त अथोरिटी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (1) में उलिलखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

II.निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) ।